# विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ0प्र0
**(विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ0 प्र0 शासन)**

विज्ञान भवन, 9 नबीउल्लाह रोड, सूरज कुण्ड पार्क, लखनऊ–226 018, उत्तर प्रदेश

दूरभाषः 0522–2202446, 2611773 फैक्सः 0522–2611793

Website: www.dstup.gov.in/CST Email: cstupinnovation@gmail.com


## सी.एस.टी., यू.पी., आभियांत्रिकी विद्यार्थी प्रोजेक्ट अनुदान योजना, वर्ष 2018-19

**प्रस्तावना :-**

विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद, उ0प्र0(CST UP) विज्ञान भवन 09, नबीउल्लाह रोड़, सूरज कुंड पार्क, लखनऊ -226018 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अर्न्तगत कार्यरत एक स्वायतशासी संस्था है। परिषद द्वारा प्रदेश में विद्यार्थियों के मध्य विज्ञान के विषयों में रूचि बढाने के लिए अनेक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। इसी क्रम में परिषद द्वारा विज्ञान छात्रवृत्ति परियोजना प्रारम्भ की गयी है। विज्ञान लोकप्रियकरण का कार्य परिषद द्वारा संचालित जिला विज्ञान क्लब के माध्यम से किया जा रहा है। परिषद की मुख्य गतिविधियां निम्नलिखित हैः-

1. विभिन्न शोध प्रोत्साहन परियोजनायें जैसे इंजीनियरिंग रिसर्च स्कीम, यंग साइंटिस्ट स्कीम, मेडिकल, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी इत्यादि।
2. राष्ट्रीय/अर्न्तराष्ट्रीय सेमिनार/सिमपोजिअम/कांफ्रेस के लिए प्रोत्साहन।
3. उ0प्र0 विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन।
4. नव प्रवर्तन प्रोत्साहन व बौद्धिक सम्पदा अधिकार संरक्षण।
5. प्रदेश की तीन नक्षत्रशालाओं यथा इन्दिरा गांधी नक्षत्रशाला, लखनऊ, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला, गोरखपुर एवं आर्यभट्ट प्लेनिटेरियम, रामपुर एवं दो मोबाइल नक्षत्रशालाओं का संचालन।

**सी.एस.टी., यू.पी. आभियांत्रिकी विद्यार्थी प्रोजेक्ट अनुदान योजना :- एक दृष्टि में**

सभी तकनीकी संस्थाओं/विद्यालयों/विश्वविद्यालयों में अभियांत्रिकी के अन्तिम वर्ष के विद्यार्थियों द्वारा प्रोजेक्ट बनाये जाते हैं परन्तु प्रायः विद्यार्थियों द्वारा प्रोजेक्ट निर्माण की गतिविधि को गम्भीरता से नहीं लिया जाता है और अपने वरिष्ठ छात्रों के प्रोजेक्ट्स का पुनः प्रस्तुतीकरण कर दिया जाता है। कुछ विद्यार्थी, जिनके पास कुछ नया करने की इच्छा शक्ति होती है अथवा जिनके पास नवाचार करने की क्षमता होती है, वे अपने विचारों को मूर्त रूप नहीं दे पाते। इसका मुख्य कारण उन्हें नवाचार हेतु किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन न दिया जाना तथा धनाभाव भी है।

परिषद द्वारा तकनीकी संस्थाओं/विद्यालयों/विश्वविद्यालयों में अभियांत्रिकी के अन्तिम वर्ष के विद्यार्थियों के नवाचार आधारित प्रोजेक्ट्स को प्रोत्साहित करने के लिये **''सी.एस.टी., यू.पी. आभियांत्रिकी विद्यार्थी प्रोजेक्ट अनुदान योजना'' ''C.S.T.U.P., Engineering Student Project Grant Scheme''** का संचालन किया जा रहा है।

**परियोजना का उद्देश्यः-**

1. स्थानीय समस्याओं के निराकरण में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना।
2. विद्यार्थियों द्वारा जनोपयोगी प्रोजेक्ट्स के निर्माण को बढ़ावा दिया जाना।
3. विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर उनकी प्रतिभा उजागर करना।
4. पुनः प्रस्तुतीकरण की प्रवृत्ति को रोकना एवं नवाचार आधारित प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देना।

**परियोजना हेतु चयनित प्रोजेक्ट क्षेत्र**

योजना में आवेदन किये जाने वाले प्रोजेक्ट्स हेतु स्पष्ट रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों का निर्धारण भी किया जायेः-

i. आपदा प्रबंधन
ii. कूड़ा प्रबंधन
iii. पर्यावरण संरक्षण
iv. कम्प्यूटर एवं मोबाइल सॉफ्टवेयर हेतु एन्टी-हैकिंग एवं डाटा संरक्षण
v. कृषि तकनीक एवं जैविक उत्पाद
vi. ऊर्जा संरक्षण
vii. सैनिटेशन
viii. चिप-सेन्सर आधारित रेल एवं रोड ट्रैफिक कन्ट्रोलिंग सिस्टम
ix. पिछड़े क्षेत्रों का विकास
x. स्मार्ट सिटी निर्माण
xi. वर्तमान की किसी ज्वलंत समस्या का समाधान

**परियोजना के मुख्य क्रियान्वयन बिन्दुः-**

1. परियोजना में उत्तर प्रदेश में अध्ययनरत् बी0टेक0 की किसी भी शाखा के अंतिम वर्ष के विद्यार्थी ही प्रतिभाग कर सकते हैं।
2. प्रोजेक्ट में सम्मिलित होने वाले सभी विद्यार्थियों के तृतीय वर्ष तक के प्राप्तांक का औसत 65 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिये।
3. एक ही कालेज द्वारा अभियांत्रिकी की अलग-अलग शाखाओं में चयनित अधिकतम् 04 प्रोजेक्ट्स ही परिषद को प्रेषित किये जा सकते हैं।
4. प्रोजेक्ट एकल विद्यार्थी द्वारा अथवा अधिकतम् 04 विद्यार्थियों के समूह द्वारा बनाया जा सकता है। जिसमें समूह के प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा अपना बायोडाटा निर्धारित प्रारूप में प्रार्थनापत्र के साथ पृथक-पृथक संलग्न किया जाना होगा।
5. विद्यार्थियों द्वारा आवेदन हेतु परिषद की वेबसाइट www.cstup.org पर उपलब्ध लिंक **Download Application Form of "CST UP Engineering Students' Project Grant Scheme 2018-19"** के माध्यम से आवेदन फार्म डाउनलोड किये जायेंगे। डाउन लोड किये गये फार्म को पूर्णतया भरकर, यथास्थान नवीनतम् फोटो चिपका कर एवं स्वहस्ताक्षरित तथा निर्धारित व्यक्ति से प्रमाणित करवा कर उसकी स्कैन्ड पी.डी.एफ. फाइल (pdf file) तथा प्रोजेक्ट की पृथक पी.डी.एफ. फाइल (pdf file) ईमेल espgs.cstup@gmail.com पर निर्धारित तिथि के अन्दर प्रेषित की जानी होगी।
6. प्रस्तावित योजना में प्राप्त प्रस्तावों में से परिषद द्वारा वर्ष 2018-19 में अधिकतम् 100 प्रस्ताव वित्त-पोषण हेतु चयनित किये जायेंगे।
7. परिषद द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव स्वीकृति तिथि से अधिकतम् 03 महीने की अवधि के अन्दर पूर्ण करके परिषद को प्रेषित किये जाने होंगे।

8. वित्त पोषित प्रोजेक्ट के पूर्ण होने पर विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट के मॉडल एवं पी.पी.टी. का प्रस्तुतीकरण निर्धारित तिथि को रिव्यूअर कमेटी (Reviewer Committee) के सामने करना होगा तथा प्रोजेक्ट के प्रस्तुतीकरण हेतु विद्यार्थियों को परिषद में आना होगा।

9. परिषद द्वारा एक प्रोजेक्ट हेतु योजना के अन्तर्गत कुल रू 20,000/- का अनुदान प्रदान किया जायेगा। जिसमें से प्रथम किस्त 50 प्रतिशत की होगी। प्रोजेक्ट पूर्ण करने एवं रिव्यूअर कमेटी (Reviewer Committee) के समक्ष प्रस्तुत करने वाले छात्र/छात्राओं को शेष 50 प्रतिशत का अनुदान प्रदान किया जायेगा।

10. परिषद को प्रेषित प्रोजेक्ट्स पर संस्थान के निदेशक/प्रधानाचार्य/विभागाध्यक्ष की अन्डरटेकिंग आवश्यक होगी कि प्रोजेक्ट विद्यार्थी/विद्यार्थियों द्वारा स्वयं बनाये गये है।

11. संस्थान द्वारा यह अण्डरटेकिंग भी दी जायेगी कि वह परिषद द्वारा दिये गये अनुदान का समुचित एवं सुनियोजित प्रबन्धन करेंगे। ऐसा न होने की स्थिति में अथवा विद्यार्थी/विद्यार्थी ग्रुप के प्रोजेक्ट पूर्ण न किये जाने की दशा में, परिषद संस्था को परिषद की गतिविधियों में भाग लेने से रोक सकती है।

12. परियोजना के अन्तर्गत महत्वपूर्ण तिथियाँ निम्नवत् होंगीः-

| महत्वपूर्ण तिथियाँ | |
|---|---|
| ऑन लाइन आवेदन की प्रारम्भ तिथि | 01.10.2018 |
| ऑन लाइन आवेदन की अंतिम तिथि | 10.11.2018 |
| चयनित प्रोजेक्ट्स के परिणाम घोषित करने की तिथि | 15.12.2018 |
| प्रोजेक्ट प्रदर्शन का अनुमानित समय | अप्रैल के अंतिम सप्ताह अथवा मई के प्रथम सप्ताह |

13. आवेदन करने की अंतिम तिथि के उपरान्त प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

14. अनुदान हेतु चयनित प्रोजेक्टों के आवेदनों की मूल प्रतियाँ सत्यापन की दृष्टि से परिषद द्वारा माँगे जाने परिषद को निर्धारित समय के अन्दर प्रेषित की जानी होगी।

15. स्वीकृत अनुदान राशि आवेदक विद्यार्थी अथवा ग्रुप लीडर (एक से अधिक विद्यार्थी होने की स्थिति में) के बैंक खाते में अन्तरित की जायेगी। प्रोजेक्ट के प्रस्तुतीकरण के समय परिषद द्वारा निर्गत अनुदान राशि का 'उपयोगिता प्रमाण पत्र' (Utilization Certificate) तथा प्रथम किश्त प्राप्त होने की निर्धारित प्रारूप में प्राप्ति रसीद (Acknowledgement Receipt) अपने विभागाध्यक्ष से सत्यापित कराकर विद्यार्थियों द्वारा परिषद को उपलब्ध कराना होगा। जिसके पश्चात् अवशेष राशि का भुगतान परिषद द्वारा आवेदक विद्यार्थी अथवा ग्रुप लीडर (एक से अधिक विद्यार्थी होने की स्थिति में) के बैंक खाते में अन्तरित कर दिया जायेगा।

16. चयनित प्रोजेक्ट्स को प्रत्येक स्थिति में प्रोजेक्ट्स प्रदर्शन की तिथि से पहले पूर्ण किया जाना होगा।

17. योजना के अन्तर्गत चयनित प्रोजेक्ट को परिषद द्वारा निर्धारित तिथि एवं स्थान पर प्रोजेक्ट प्रदर्शन हेतु आना होगा। प्रोजेक्ट प्रदर्शन के उपरान्त ही अनुदान की द्वितीय किश्त प्रेषित की जायेगी।

18. परियोजना के अन्तर्गत सर्वोत्तम् 03 प्रोजेक्ट्स को प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमशः रू 1,00,000/-, रू 75,000/- तथा रू 50,000/- की राशि प्रदान की जायेगी।

19. योजना में भाग लेने वाले विद्यार्थियों तथा उनके गाइड टीचर्स को परिषद की ओर से प्रमाण पत्र प्रदान किये जायेंगे।

20. प्राप्त आवेदनों के चयन के सम्बंध में परिषद का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

विज्ञापन एवं ऑन लाइन आवेदन हेतु www.cstup.org पर विजिट करें।
आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में ईमेल espgs.cstup@gmail.com के माध्यम से परिषद को प्रेषित किये जायेंगें।

विज्ञापन एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ0प्र0
9 नबीउल्लाह रोड, सूरज कुण्ड पार्क,
लखनऊ 226018

***